(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–5498/2018/हरदा/भू.रा./2018 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–08–2018 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक–281/अपील/2017–18

.....

1– सुधाकर आ0 रेवाशंकर जोशी
2– मधुसुदन आ0 रेवाशंकर जोशी
3– सुभाषचन्द्र आ0 रेवाशंकर जोशी
4– निलेश कुमार आ0 रेवाशंकर जोशी
5– संजय आ0 रेवाशंकर जोशी
6– श्रीमती काशी बाई पत्नी रेवाशंकर जोशी
निवासीगण–टिमरनी तहसील टिमरनी, हरदा, म.प्र.

———अपीलार्थीगण

विरूद्ध

हरिभाउ आ0 प्रभाकर राव गर्दे
निवासी टिमरनी तहसील टिमरनी, हरदा, म.प्र

———प्रत्यार्थी

.....

श्री निलेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री दिलीप मिश्रा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 23 04/2019 को पारित )

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिजा कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

23/4/19

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी हरीभाउ गद्रे द्वारा ग्रम टिमरनी की भूमि खसरा नंबर 151/1 रकबा 0.06, 177/3 रकबा 8.38, एवं 177/7 रकबा 0.04 एकड़ जुमला रकबा 8.48 एकड़ भूमिस्वामी के रूप

(3)

(1)

में शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की मौके की स्थिति एवं बन्दोबस्त नक्शा एवं आस–पास के खसरा नंबर की जांच कर नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–01–2012 को नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त नर्मदापुरम संभाग ने अपील प्रकरण कमांक 56/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26–6–2012 से अपीलार्थीगणों को अपील वापस कर राजस्व मण्डल में निगरानी करने के निर्देश दिये। राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण कमांक 2685–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 06–8–2015 से कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलार्थीगणों के स्वत्व की भूमि मौके पर सुनिश्चित करें तदोपरांत यदि अधिक भूमि पाई जाती है तो उसको समायोजन करें तद्पुरांत नक्शा दुरूस्त करें। राजस्व मण्डल के इस आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा 16123/2015 में पारित आदेश दिनांक 27–4–2017 में राजस्व मण्डल के आदेश में त्रुटि न पाते हुये उसके अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये।

मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में [redacted] भू–अभिलेख हरदा ने पत्र कमांक 2405/[redacted] 23–12–2017 से प्रतिवेदन नक्शों सहित [redacted] द्वारा आपित्त प्रस्तुत की गई कि [redacted] सीमांकन नहीं किया गया, [redacted] करने तत्पश्चात रकबे का नक्शा दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं। जबाव में प्रत्यर्थी द्वारा बताया गया कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 27–1–2018 के द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार तहसीलदार टिमरनी को नक्शा दुरूस्त करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर

23/4/19

(2)

के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 23—8—2018 के द्वारा अपीलार्थीगण की अपील अग्राह्य की। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में पूर्व में राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 2685—एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 06—8—2015 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 17—01—2012 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि अपीलार्थीगणों के स्वत्व की भूमि मौके पर सुनिश्चित करें तदोपरांत यदि अधिक भूमि पाई जाती है तो उसको समायोजन करें तद्पुरांत नक्शा दुरूस्त करें। राजस्व मण्डल के इस आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई जिसमें मान0 उच्च न्यायालय ने 16123/2015 में पारित आदेश दिनांक 27—4—2017 में राजस्व मण्डल के आदेश में त्रुटि न पाते हुये उसके अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें आदेश पत्रिका दिनांक 05—9—2017 पर अपर कलेक्टर ने उभय पक्ष को सीमांकन हेतु शुल्क जमा करने के आदेश दिये तथा सहायक अधीक्षक की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक को टीएसएम मशील से सीमांकन कर मय फील्ड बुक के सीमांकन रिपोर्ट उभय की सूचना विनिश्चन देकर सीमांकन रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करने के आदेश दिये। उक्त पेशी के पश्चात 19—9—17, 23—10—17, 13—11—17, 7—12—17, 12—12—17 को सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त न होने का उल्लेख आदेश पत्रिका में है। दिनांक 26—12—17 को सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख द्वारा सीमांकन न कर सीधे नक्शा सुधार कर प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर ही अपर कलेक्टर ने नक्शा सुधार कर चिन्हित क्षेत्रफल 0.60 डिसमिल भूमि अनावेदक

की भूमि में समायोजित किये जाने के आदेश पारित किये। स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश जिसे मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखा गया था, का पालन नहीं किया गया क्योंकि स्वत्व की भूमि मौके पर सुनिश्चित करने के लिए सीमांकन कर माप की जाना आवश्यक थी और अपर कलेक्टर द्वारा इसके लिए सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देश भी दिये थे परन्तु सहायक अधीक्षक ने सीमांकन न कर सीधे नक्शा दुरूस्त कर प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर अपर कलेक्टर ने भूमि का समायोजन कर नक्शा सुधार के आदेश देने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता। जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है आयुक्त द्वारा इस महत्वपूर्ण आधार पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः आयुक्त का आदेश भी उचित नहीं माना जा सकत।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर कलेक्टर हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2018 एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–8–2018 अनुचित होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अपर कलेक्टर हरदा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि राजस्व मण्डल एवं मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में विधिवत सीमांकन करें तथा अपीलार्थीगण के स्वत्व की भूमि मौके पर सुनिश्चित करने के पश्चात यदि भूमि अधिक पाई जाती है तो उसको समायोजन करें तद्पुरांत नक्शा दुरूस्त करें।

उभय पक्ष दिनांक 28–5–2019 को अपर कलेक्टर हरदा के समक्ष उपस्थित हों।

23/4/19

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर